भवन स्वामी के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0सी0 कोड आदि का उल्लेख रहेगा। किराये का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों को किराये पर लेते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों का समुचित संचालन सुनिश्चित करें।

दिनांकः 17 जनवरी, 2020 को प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की गयी तथा निम्न जनपदों में आधारभूत सुविधाएं यथा–पेयजल, विद्युत एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही पायी गयी जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) जनपदों का नाम जहां पर किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं यथा–पेयजल की सुविधा उपलब्ध नही है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	परियोजना की संख्या	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र (संख्या में)		शहरी क्षेत्र (संख्या में)		ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता की स्थिति	
					हॉं	नहीं	हॉं	नहीं	हॉं (कॉलम 6+8)	नहीं (कॉलम 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजीपुर	17	4118	4118	739	302	99	0	838	302
2	सन्तकबीरनगर	10	1783	1783	172	78	73	0	245	78
3	सिद्धार्थनगर	15	3112	3112	126	49	0	0	126	49
4	लखनऊ	10	2716	2716	482	43	1110	45	1592	88
5	रायबरेली	19	2833	2833	311	31	56	0	367	31
6	मिर्जापुर	14	2680	2680	250	28	253	0	503	28
7	मऊ	10	2587	2587	410	19	287	0	697	19
8	हमीरपुर	8	1500	1500	23	1	183	0	206	1
9	महराजगंज	13	3133	3133	0	0	115	16	115	16
10	सोनभद्र	9	1825	1825	0	0	35	15	35	15
11	हरदोई	20	3930	3930	119	0	357	1	476	1
	योग	145	30217	30217	2632	551	2568	77	5200	628

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-1290 /बा0वि0परि0/लेखा/2018–19, दिनांक : 21 जनवरी, 2019

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–36/2016–सी0डी0–I, दिनांक 23.11.2017 के क्रम में शासन के पत्र संख्या–250/60–2–19–2/3(49)/05, दिनांक 21.01.2019 के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के किराये में वृद्धि करते हुए निम्नवत् दरें निम्न शर्तों के साथ निर्धारित की गयी है :–

1. शहरी क्षेत्र – रू0 4000/– प्रतिमाह
2. ग्रामीण क्षेत्र – रू0 1000/– प्रतिमाह
3. मेट्रोपोलिटन शहरों हेतु – रू0 6000/– प्रतिमाह

किसी भी भवन को किराये पर लेने के लिए निम्न् सुविधाओं की पूर्ति अनिवार्य है।

- आंगनवाड़ी केन्द्र में 500 से 600 वर्गफिट की जगह हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय की व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो।
- विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं तथा साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो।

शासनादेश संख्या–ए–2–1092/दस–2011–24(7)–95, दिनांक 25.11.2011 में निर्धारित किराये के अनुसार ही दरों का निर्धारण किया जायेगा। उक्त प्रस्तर–1 में इंगित किराया अधिकतम अनुमन्य किराया है।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन किराये पर लिये जाने हेतु जनपद के समस्त केन्द्रों के लिए एक साथ विज्ञापन दिया जायेगा और इसको जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तहसील, विकास खण्डों, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराये के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होगें। समिति की संस्तुति के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का निर्धारण किया जायेगा।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक : C-2117 /बा0वि0परि0/लेखा/2019-20, दिनांक : 20 जनवरी, 2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
जनपद- गाजीपुर, रायबरेली, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़,
संतकबीरनगर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, मुरादाबाद,
मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, कानपुर नगर, सोनभद्र, हरदोई,
एटा एवं महराजगंज।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-36/2016-सी0डी0-I, दिनांक 23.11.2017 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-250/60-2-19-2/3(49)/05, दिनांक 21.01.2019 के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के किराये में वृद्धि करते हुए निम्नवत् दरें निम्न शर्तो के साथ निर्धारित की गयी है :-

1. शहरी क्षेत्र — रू0 4000/- प्रतिमाह
2. ग्रामीण क्षेत्र — रू0 1000/- प्रतिमाह
3. मेट्रोपोलिटन शहरों हेतु — रू0 6000/- प्रतिमाह

किसी भी भवन को किराये पर लेने के लिए निम्न् सुविधाओं की पूर्ति अनिवार्य है।

- आंगनवाड़ी केन्द्र में 500 से 600 वर्गफिट की जगह हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय की व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो।
- विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं तथा साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हो।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन किराये पर लिये जाने हेतु जनपद के समस्त केन्द्रों के लिए एक साथ विज्ञापन दिया जायेगा और इसको जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तहसील, विकास खण्डों, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयो के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

जनपद में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराये के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य होगें। समिति की संस्तुति के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराये का निर्धारण किया जायेगा।

प्राप्त अनुमोदन के क्रम में भवन स्वामी से 03 वर्ष की अवधि के लिए किराये का अनुबन्ध किया जायेगा तथा इसे आवश्यकतानुसार आगामी 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबन्ध में

(iii) जनपदों का नाम जहां पर किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं यथा–शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना की संख्या	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र (संख्या में)		शहरी क्षेत्र (संख्या में)		ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की उपलब्धता की स्थिति	
					हॉं	नहीं	हॉं	नहीं	हॉं (कॉलम 6+8)	नहीं (कॉलम 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजीपुर	17	4118	4118	389	679	98	1	487	680
2	रायबरेली	19	2833	2833	43	299	58	0	101	299
3	लखनऊ	10	2716	2716	280	288	952	96	1232	384
4	मऊ	10	2587	2587	207	222	287	0	494	222
5	सन्तकबीरनगर	10	1783	1783	61	189	0	73	61	262
6	आजमगढ़	24	5588	5588	682	131	186	0	868	131
7	मिर्जापुर	14	2680	2680	154	118	253	0	407	118
8	सिद्धार्थनगर	15	3112	3112	96	79	0	0	96	79
9	उन्नाव	17	3352	3352	354	46	175	0	529	46
10	कानपुर नगर	12	2134	2134	2	7	80	433	82	440
11	हमीरपुर	8	1500	1500	16	3	183	0	199	3
12	सोनभद्र	9	1825	1825	0	0	31	19	31	19
13	महराजगंज	13	3133	3133	0	0	119	12	119	12
14	हरदोई	20	3930	3930	119	0	356	2	475	2
	योग	**198**	**41291**	**41291**	**2403**	**2061**	**2778**	**636**	**5181**	**2697**

उपरोक्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार ही ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो छोटे से कमरे में, बरामदो में तथा बिना आधारभूमत सुविधा के संचालित हो रहे हो, उन्हें तत्काल परिवर्तित कर उपरोक्तानुसार भवन में संचालित कर निदेशालय में आख्या प्रेषित करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह) 20-1-20
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या /तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, शासन।
2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ कि अपने स्तर से सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकरी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4 समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।

(शत्रुघ्न सिंह)
निदेशक

जनपदों का नाम जहां पर किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं यथा–विद्युत की सुविधा उपलब्ध नही है।

जनपद का नाम	परियोजना की संख्या	स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र (संख्या में)		शहरी क्षेत्र (संख्या में)		ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति	
				हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	हॉ (कॉलम 6+8)	नहीं (कॉलम 7+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गाजीपुर	17	4118	4118	371	503	99	0	470	503
रायबरेली	19	2833	2833	30	302	52	4	82	306
लखनऊ	10	2716	2716	175	273	860	186	1035	459
मऊ	10	2587	2587	185	244	287	0	472	244
आजमगढ़	24	5588	5588	616	197	183	5	799	202
सन्तकबीरनगर	10	1783	1783	63	187	0	73	63	260
मिर्जापुर	14	2680	2680	338	134	253	0	591	134
सिद्धार्थनगर	15	3112	3112	112	63	0	0	112	63
उन्नाव	17	3352	3352	345	55	175	0	520	55
मुरादाबाद	9	2742	2742	18	47	640	0	658	47
मुजफ्फरनगर	10	2274	2274	92	24	233	0	325	24
हमीरपुर	8	1500	1500	11	8	183	0	194	8
कानपुर नगर	12	2134	2134	6	3	244	269	250	272
सोनभद्र	9	1825	1825	0	0	28	22	28	22
हरदोई	20	3930	3930	119	0	354	4	473	4
एटा	9	1864	1864	113	0	198	3	311	3
महराजगंज	13	3133	3133	0	0	130	1	130	1
योग	**226**	**48171**	**48171**	**2594**	**2040**	**3919**	**567**	**6513**	**2607**

महत्वपूर्ण/अतिआवश्यक

261-63 **कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ।**

पत्रांक /जि0का0अधि0/आ0बा0के0संचा0/2021—22दिनांक 22 जून—2021

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी

जनपद—लखनऊ।

विषय—किराये पर संचालित आ0बा0केन्द्रों के सम्बन्ध में।

पत्र के साथ संलग्न निदेशालय के पत्र संख्या—सी—221 दिनांक 21.06.2021 का सन्दर्भ ले, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में संचालित कराया जाना है, जिससे उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें।

अतः संलग्न पत्र का विस्तृत अध्ययन कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए एवं निदेशालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण—पत्र एवं सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

संलग्न—उपरोक्तानुसार निदेशालय का पत्र।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठाकन सं0— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
लखनऊ

Scanned with CamScanner

4106614

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0,
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : C-221 /बा0वि0परि0/आ0बा0के0नि0/2021–22 दिनांक 21 जून, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रदेश में किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कुल संचालित 188982 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 15103 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये पर संचालित हो रहे है। शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में संचालित कराया जाना है, जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से निम्न कार्यवाही की जानी है:–

1. (i) किराये के आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से आपके स्तर पर सर्वे अतिशीघ्र कराया जाना है, जिससे वर्तमान में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में शासकीय भवन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर उसे स्थानान्तरित किया जाना है।

   (ii) शासकीय भवनों में पर्याप्त स्थान न उपलब्ध होने अथवा नियत परिधि में शासकीय भवन न होने की दशा में निकटवर्ती शासकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में पर्याप्त स्थान होने पर किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित किया जाना है।

   (iii) शासकीय भवनों अथवा निकटवर्ती अन्य (पूर्व से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों) शासकीय भवनों में स्थानान्तरण न हो पाने की दशा में किराये के सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वर्तमान संचालन स्थल से 01 कि0मी0 की परिधि में भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है।

   यदि 15 दिन के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्ण प्रयास के पश्चात् भी कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित होने से छूट जाते है तो उनके सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर केन्द्रवार प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा (संलग्न)।

2. बिन्दु संख्या–1 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के पश्चात् यदि कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में स्थानान्तरित होने से अवशेष रहते है तो ऐसे किराये के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्र में आधारभूत सुविधा यथा–स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण की उपलब्धता है अथवा नही (प्रारूप संलग्न) की सूचना भी उपलब्ध करायें।

3. नवीन शासनादेश संख्या–250/60–2–19 –2/3(49)/05 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को किराये का भुगतान हो रहा है अथवा नही। यदि नवीन शासनादेश के अनुसार किराये के भुगतान में कोई समस्या है तो तथ्यों के साथ आख्या में उसका उल्लेख करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रमाण पत्र तथा आधारभूत सुविधा हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05/07/21 तक निदेशालय में ई0मेल आई0डी0– icdsawcn2@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण एवं आधारभूत की गूगल शीट पर भी किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूचना को अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकनः /तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

Scanned with CamScanner

प्रमाण–पत्र

जनपद .... में निम्न विवरणानुसार परियोजनावार/केन्द्रवार आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे है। प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. निम्न केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में ऐसा कोई शासकीय भवन नहीं है, जहॉ इन्हें स्थानान्तरित किया जा सकें।

2. ऐसा कोई निकटवर्ती शासकीय भवन नहीं है जहॉ आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे है, जिससे निम्न किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित किया जा सके।

3. निम्न किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु निकटवर्ती कोई निःशुल्क भूमि उपलब्ध नही हैं।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	शहरी/ ग्रामीण	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

मुख्य सेविका का नाम
दिनांक एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम
दिनांक एवं हस्ताक्षर

जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम
दिनांक एवं हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

प्रारूप

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	शहरी/ग्रामीण	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	आधारमूत सुविधा की उपलब्धता						आंगनबाड़ी केन्द्रों को निम्न दरों (नवीन/पुरानी) के अनुसार किराये का भुगतान किया जा रहा है (धनराशि अंकित करें)	नवीन शासनादेश संख्या–250/60–2–19–2/3(49)/05 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार किराये न भुगतान होने का कारण
					पेयजल की उपलब्धता		शौचालय की उपलब्धता		विद्युतीकरण की उपलब्धता			
					है	नही	है	नही	है	नही		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Scanned with CamScanner